

फाइल सं0 1-1771 / एफएसएसएआई / आयात / 2018  
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण  
(खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण)  
एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

नई दिल्ली 16 अप्रैल, 2020

**विषय : कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन के मद्देनजर अस्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र (पी-एनओसी) का अन्य आयातित खाद्य उत्पादों पर लागू होने के संबंध में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 16(5) के तहत निर्देश – वैधता की बढ़ौतरी के संबंध में**

ये निर्देश दिनांक 03.04.2020 के पूर्व निर्देश (प्रतिलिपि संलग्न) में आंशिक संशोधन करने के लिए जारी किए गए हैं, जिनमें कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन के दौरान खाद्य सेवाओं/वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने और व्यापार को आसान बनाने के लिए यह निर्णय सूचित किया गया था कि आयातित कच्चे तेलों (खाद्य ग्रेड) और खाद्यान्नों की खेपों के संबंध में आयातक संबंधित प्राधिकृत अधिकारी को संलग्न अनुबंध में वचन देगा/घोषणा करेगा और प्राधिकृत अधिकारी उसी के आधार पर चाक्षुष निरीक्षण बिना विलंब के उसी दिन करेंगे और निरीक्षण के संतोषजनक पाने के बाद नमूने लेकर प्रयोगशाला से विश्लेषण रिपोर्ट के लिए इंतजार किए बिना अस्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र (पी-एनओसी) जारी कर देंगे। प्रयोगशाला से विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद उत्पाद के एफएसएसएआई मानकों के अनुरूप पाए जाने पर प्राधिकृत अधिकारी अंतिम अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करेंगे।

2. उपर्युक्त निर्देश अब दिनांक 30.05.2020 तक अथवा इस संबंध में अन्य आदेश जारी होने तक, जो भी पहले हो, वैध रहेंगे। यह खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 16(5) के अंतर्गत खाद्य प्राधिकरण में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

संलग्न : यथोपरि

(डॉ. अमित शर्मा)  
निदेशक (आयात)

ई-मेल : [dramit.sharma@fssai.gov.in](mailto:dramit.sharma@fssai.gov.in)

सेवा में

- एफएसएसएआई और सीमाशुल्क के सभी प्राधिकृत अधिकारी – उपर्युक्त निर्देशों के अनुपालनार्थ
- निदेशक (सीमा शुल्क) और आयुक्त (एकल खिड़की परियोजना, सीबीआईसी) – इस अनुरोध के साथ कि वे इन निर्देशों को अनुपालन के लिए प्राधिकृत अधिकारी के रूप में काम करने वाले सीमा शुल्क विभाग के सभी अधिकारियों को परिचालित कर दें।

प्रतिलिपि सूचनार्थ –

- कार्यकारी निदेशक (अनुपालन), एफएसएसएआई मुख्यालय
- सलाहकार (मानक), एफएसएसएआई मुख्यालय
- प्रमुख (विनियम/कोडेक्स), एफएसएसएआई मुख्यालय

- सलाहकार (गुणता आश्वासन), एफएसएसएआई मुख्यालय
- निदेशक (गुणता आश्वासन), एफएसएसएआई मुख्यालय
- निदेशक (एसबीसीडी), एफएसएसएआई मुख्यालय
- प्रमुख (आरसीडी), एफएसएसएआई मुख्यालय
- प्रमुख (विधि), एफएसएसएआई मुख्यालय
- उपायुक्त, एसडब्ल्यू, सीबीआईसी
- सीआईटीओ, एफएसएसएआई मुख्यालय – एफएसएसएआई की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए

**अनुबंध**  
**आयातित कच्चे तेलों (खाद्य ग्रेड) और खाद्यान्नों के लिए अस्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र**  
**जारी करने के संबंध में घोषणा**

(खाद्य कारोबारी/आयातक/कंपनी के लेटरहेड पर प्रिंट किया जाए)

सेवा में  
प्राधिकृत अधिकारी, एफएसएसएआई  
<आयात की बंदरगाह>

महोदय,

मैं/हम, ..... निवासी ..... मेसर्स .....  
..... के प्रोप्रायटर/भागीदार/प्रबंध निदेशक/निदेशक/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हैं और .....  
<...बंदरगाह का स्थान...> पर दिनांक ..... के <.....बिल ऑफ एंट्री.....> द्वारा आयातित  
खेप में <..... खाद्य वस्तुओं के नाम.....> के आयातक हैं। अनुरोध है कि उसके लिए अस्थायी  
प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जाए।

मैं/हम आयातक कंपनी की तरफ से निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों का पालन करने का वचन  
देता हूँ/देते हैं :

- i. ऊपर उल्लिखित बिल ऑफ एंट्री के तहत समग्र खेप को <...वेअरहाउस का पता ....> में स्थित भंडारण सुविधा में रखा जाएगा और अंतिम अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी होने से पहले खेप का कोई भाग बाजार में जारी नहीं किया जाएगा;
- ii. सीमा शुल्क और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण दोनों के अधिकारियों को भंडारण सुविधा का यह सुनिश्चित करने के लिए किसी भी समय निरीक्षण करने का अधिकार होगा कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा अंतिम प्रमाण-पत्र जारी होने तक खेप को सुरक्षित रखा गया है;
- iii. खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत बने किसी नियम, विनियम के अपालन की स्थिति में मैं/हम खेप को सीमा शुल्क के क्षेत्राधिकार में वापस लाने के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हूँगा/होंगे और सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार उसे खत्म करने/वापस निर्यात करने संबंधी सभी मानदंडों का पालन करूँगा/करेंगे;
- iv. उपर्युक्त मानदंडों में से किसी का भी अनुपालन न होने पर मैं/हम भविष्य में उपर्युक्त सुविधा का लाभ उठाने का/के पात्र नहीं हूँगा/होंगे। इसके अतिरिक्त मैं/हम खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 तथा उसके अंतर्गत बने नियमों और विनियमों के उल्लंघन का/के जिम्मेदार हूँगा/होंगे।

स्थान : आयातक के हस्ताक्षर, मुहर सहित .....

तिथि : नाम : .....

पता : .....

दूरभाष तथा मोबाइल सं० .....

फाइल सं0 1-1771/एफएसएसएआई/आयात/2018  
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण  
(खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण)  
एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

नई दिल्ली 03 अप्रैल, 2020

विषय : कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन के मद्देनजर अस्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र (पी-एनओसी) का अन्य आयातित खाद्य उत्पादों पर लागू होने के संबंध में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 16(5) के तहत निर्देश

कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन के दौरान खाद्य सेवाओं/वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने और व्यापार को आसान बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि आयातित कच्चे तेलों (खाद्य ग्रेड) और खाद्यान्नों की खेपों के संबंध में आयातक संबंधित प्राधिकृत अधिकारी को संलग्न प्रपत्र में वचन देगा/घोषणा करेगा और प्राधिकृत अधिकारी उसी के आधार पर चाक्षुष निरीक्षण उसी दिन अविलंब करेंगे और संतोषजनक निरीक्षण के बाद नमूने लेकर प्रयोगशाला से विश्लेषण रिपोर्ट के लिए इंतजार किए बिना अस्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र (पी-एनओसी) जारी कर देंगे। प्रयोगशाला से विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद उत्पाद के एफएसएसएआई मानकों के अनुरूप पाए जाने पर प्राधिकृत अधिकारी अंतिम अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करेंगे।

2. ये निर्देश दिनांक 15.04.2020 तक अथवा इस संबंध में अन्य आदेश जारी होने तक, जो भी पहले हो, वैध रहेंगे। यह खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 16(5) के अंतर्गत खाद्य प्राधिकरण में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

संलग्न : यथोपरि

(डॉ. अमित शर्मा)

निदेशक (आयात)

ई-मेल : dramit.sharma@fssai.gov.in

सेवा में

- एफएसएसएआई और सीमाशुल्क के सभी प्राधिकृत अधिकारी – उपर्युक्त निर्देशों के अनुपालनार्थ
- निदेशक (सीमा शुल्क) और आयुक्त (एकल खिड़की परियोजना, सीबीआईसी) – इस अनुरोध के साथ कि वे इन निर्देशों को अनुपालन के लिए प्राधिकृत अधिकारी के रूप में काम करने वाले सीमा शुल्क विभाग के सभी अधिकारियों को परिचालित कर दें।

प्रतिलिपि सूचनार्थ –

- कार्यकारी निदेशक (अनुपालन), एफएसएसएआई मुख्यालय
- सलाहकार (मानक), एफएसएसएआई मुख्यालय

- प्रमुख (विनियम/कोडेक्स), एफएसएसएआई मुख्यालय
- सलाहकार (गुणता आश्वासन), एफएसएसएआई मुख्यालय
- निदेशक (गुणता आश्वासन), एफएसएसएआई मुख्यालय
- निदेशक (एसबीसीडी), एफएसएसएआई मुख्यालय
- निदेशक (आरसीडी), एफएसएसएआई मुख्यालय
- प्रमुख (आरसीडी), एफएसएसएआई मुख्यालय
- प्रमुख (विधि), एफएसएसएआई मुख्यालय
- उपायुक्त, एसडब्ल्यू, सीबीआईसी
- सीआईटीओ, एफएसएसएआई मुख्यालय – एफएसएसएआई की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए